

जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय।

पत्रांक...15...../एम0, दिनांक...04/01/2024-

प्रेषित,

Kundan Kumar
S/o-Prabhas Kumar Singh
At-Rampur Lakhisarai
Mob-9431455092
E-mail-Sudduk862@gmail.com

विषय :- बेगूसराय जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक एवं गंगा नदी के बालूघाट/बालूखण्ड संख्या-01 की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-29.12.2023 को सम्पन्न ई-नीलागी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सौदांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषयक बेगूसराय जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक एवं गंगा नदी के बालूघाट/बालूखण्ड संख्या-01, रकबा-7.6 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-29.12.2023 को सम्पन्न ई-नीलागी में आपके द्वारा मो0-34,20,000=00/- के विरुद्ध उच्चतम डाक की राशि मो0 37,62,000=00 (सैंतीस लाख बारह हजार) रुपये की बोली के फलस्वरूप उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए। निविदा दरतावेज की कंडिका-20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलागी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अधधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-85,500/- (पचासी हजार पाँच सौ) रुपये के भुगतान का साक्ष्य दिनांक-03.01.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दरतावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक एवं गंगा नदी के बालूघाट/इकाई संख्या-01 का सौदांतिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. बालूघाट/इकाई संख्या-01 से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	नदी का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	बालूघाट का नाम	Geo Coordinates	
				Latitude	Longitude
1	बूढ़ी गंडक नदी यूनिट-01	7.6	Sakrauli Chharapali Ghat Mauza- Sakraulichharapali Block-CheriaBariarpur Dist- Begusarai	25°36'38.60"N	86° 1'18.91"E
				25°36'40.30"N	86° 1'18.24"E
				25°36'42.93"N	86° 1'23.97"E
				25°36'41.34"N	86° 1'24.82"E
			Sanjal Ghat Mauza-Sanjat Block- Bhagwanpur Dist- Begusarai	25°36'46.92"N	86° 1'41.56"E
				25°36'48.86"N	86° 1'40.08"E
				25°36'53.66"N	86° 1'46.44"E
				25°36'51.94"N	86° 1'47.80"E
			Pabra Ghat Mauza- PabraDhab Block- Birpur Dist- Begusarai	25°33'8.54"N	86° 6'31.43"E
				25°33'10.07"N	86° 6'30.94"E
				25°33'7.53"N	86° 6'38.25"E
				25°33'5.78"N	86° 6'37.46"E
			Seuri Ghat Mauza-Seuri Block- Manjhaul Dist- Begusarai	25°32'5.84"N	86° 7'23.92"E
				25°32'7.64"N	86° 7'23.50"E
				25°32'14.61"N	86° 7'15.57"E
				25°32'10.84"N	86° 7'13.99"E
				25°32'7.98"N	86° 7'32.85"E

QK
04/01/2024

-1-

04/01/2024

SANJAY MANWANI

1. Nahi

कै.एस. जे.एम.12

2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं
3	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति	नहीं
4	पुरातात्विक स्थल से दूरी	लागू नहीं
5	खनन योग्य मात्रा	45,600 घनमीटर

2. भुगतान की शर्तें :-

- नीलाभीत-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संधिदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संधिदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संधिदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संधिदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

- GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- जिला खनिज फाउण्डेशन :-** Bihar Mineral District Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की दो (2) प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, बेगूसराय के नाम भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
- वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यदेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-

- खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निर्देशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेन्ट विद्यमान होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित महीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

04/01/2024

-2-

04/01/2024

SANJAY MANWANI

QCI-Nabet Qualified Person

- ii. पर्यावरणीय स्वीकृति:- सफल डाकवक्ता/बंदोबरताधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहाय प्रान्तिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (IEC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध शक्ति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- iii. जल एवं वायु सहमति - पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पर्याय सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सहाय पदाधिकारी के समक्ष सहमति/ Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- iv. खनन के लिए अनुमत मात्रा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक दैन्य बंदोबरती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुधिर नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः नीलाभी की कारवाई की जाएगी।

7. बंदोबरती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना :-

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा राशी वैधानिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु सामानुदान/बंदोबरती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबरती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा विहित अपेक्षित राशि संबंधित विभाग में जमा देगा। बंदोबरताधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमन्य होगा।
- ii. बंदोबरताधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

8. सफल डाकवक्ता/बंदोबरताधारी द्वारा बंदोबरती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प विहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं गण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के अनुरूप किया जा सकेगा।

9. सामान्य शर्तें :-

- (i) बंदोबरताधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा जिस पर बंदोबरताधारी का नाम एवं पता, बंदोबरती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शासित अधिरोपित की जाएगी।
- (ii) बंदोबरताधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रैचेंज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (iii) बंदोबरताधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये अपराध (सबलेटिंग) के लिए बंदोबरती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबरताधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबरताधारी की होगी।

04/01/2024

- 3 -

10/1

SANJAY MANWANI

QCI- Nabet Qualified Person

कै. 1 12/11/24



- (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (vii) यथोक्त शर्तों, बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) नीलागी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार समाहर्ता, बेगूसराय/जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाब देही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images खनन कार्य प्रारंभ करने के पहले जिला खनन कार्यालय, बेगूसराय में समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से निक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल ससाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलागी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद विहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

प्रतिलिपि :- ज्ञापांक-.....15...../एम0 दिनांक- 04/01/2024
निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना को कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/01/2024
खनिज विकास पदाधिकारी,
बेगूसराय।
04/01/2024

04/01/2024
खनिज विकास पदाधिकारी,
बेगूसराय।
04/01/2024

-4-

कृपया सुभा

SANJAY MANWANI

QCI- Nabet Qualified Person